

प्राचार्य
मानवीक विद्या पालीटेक्निक महाविद्यालय
भोपाल (म.प्र.)

संगति

डाक-घर को गृह-अदायगी के
विना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए
अनुमति, अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-
एम. पा. 2-डब्ल्यू-पी/505/2000.

मंजी क्रमांक भोपाल छिण्डीजम
एम.पी. 108/भोपाल/2000.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 446]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 जुलाई 2000—आषाढ़ 21, शक 1922

तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग

मंत्रालय, खल्ला ४८ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2000

क्र. एफ. 1-35-2000-बयातीस-1.—यह: राज्य सरकार की राय में यह आवश्यक हो गया है कि:—

(एक) कर्मचारियों के कठिपय प्रवर्गों में कठिपय रिक्तियाँ अल्प समय के भीतर भरी जाएँ।

(दो) कठिपय स्थानों पर पदस्थापना को टालने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कर्मचारियों के इन प्रवर्गों को संविदा आधार पर, विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए नियुक्त किया जाए।

अतएव, भारत के संविधान ये अनुच्छेद 309 के परन्तुका द्वारा प्रदत्त शक्तियों द्वारा प्रयोग में हाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, प्रतदानीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन विभाग के अधीन सेवा के कठिपय प्रवर्गों पर संविदा आधार पर भर्ती से संबंधित नियमिति नियम घनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा, पालीटेक्निक (अध्यापन सेवा) (संविदा सेवा) (नियुक्ति तथा सेवा शर्तें) नियम, 2000 है।

(2) फिर्दों अन्य नियमों में अंतर्धिष्ट किसी बात के होते हुए भी, ये नियम संविदा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के ऐसे प्रवर्गों को लाएंगे, जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा समय-समय पर, अनुमूली में विनिर्दिष्ट किए जाएँ।

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 (क) किसी पद के संबंध में “नियुक्ति प्राधिकारी” से अभिप्रेत है संबंधित प्रवर्ग के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;
 (ख) “ए.आई.टी.टी.ई.” से अभिप्रेत है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्;
 (ग) “सरकार” से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;
 (घ) “चयन समिति” से अभिप्रेत है संबंधित प्रवर्ग के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की समिति.

3. वेतन.—किसी पद का वेतन उतना होगा, जैसा कि उक्त पद के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए।

4. नियुक्ति का तरिका.—(1) अनुसूची में उल्लिखित पदों के प्रवर्गों पर समस्त नियुक्तियाँ, अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से ग्रहित कर चयन समिति द्वारा सिफारिश के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।
 (2) अध्यर्थी के पास आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को, अनुसूची में यथा उपलब्धि शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव होना चाहिए।

- (3) संचिदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन मानदण्ड,—

- पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए अध्यर्थियों को निम्नलिखित अनुपात में अंक दिए जाएंगे:—
 (एक) प्राध्यापक/प्रोग्राम/सहायक कर्मशाला अधीक्षक,

(क) विहित अर्हता

- (ख) एमई/एम.टेक/एम.फिल अपाधि.
 (ग) पी.एच.डी. उपाधि
 (घ) न्यूनतम अपेक्षित से भिन्न अनुभव
 (एक अंक प्रतिवर्ष)

(ङ) साक्षात्कार

- (दो) प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/कर्मशाला अधीक्षक/टीपीओ/सिस्टम एनेलिस्ट (इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी)टेक्नालॉजी,
 (क) विहित अर्हता

- (ख) पी.एच.डी. उपाधि
 (ग) न्यूनतम अपेक्षित से भिन्न अनुभव
 (एक अंक प्रतिवर्ष)

(ङ) साक्षात्कार

- (तीन) विभागाध्यक्ष (विज्ञान तथा मानविकी)
 (क) विहित अर्हता

- (ख) न्यूनतम अपेक्षित से भिन्न अनुभव
 (एक अंक प्रतिवर्ष)

(ग) साक्षात्कार

60 (अधिकतम)

(न्यूनतम अर्हता में अभिप्राप्त अंकों के अनुपात में)

10 अंक

10 अंक

05 अंक

15 अंक

70 (अधिकतम)

(न्यूनतम अर्हता में अभिप्राप्त अंकों के अनुपात में)

10 अंक

05 अंक

15 अंक

80 (अधिकतम)

(न्यूनतम अर्हता में अभिप्राप्त अंकों के अनुपात में)

05 अंक

15 अंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	इलोवट्रफल इंजीनियरिंग	पा.एच.डी. के साथ मानेजरों तथा विज्ञान कों संयुक्त शाखा में प्रयत्न बेळों में यादृक दृसंचार.	प्रायापक या सम्मुख्य स्तर पर ५ वर्ष का अध्यापन/उद्योग/अनुसंधान में अभ्यास, या	तथा टिक्का.	पा.एच.डी. के साथ मानेजरों तथा विज्ञान कों संयुक्त शाखा में प्रयत्न बेळों में यादृक दृसंचार.
4.	इलोवट्रफल इंजीनियरिंग	प्रयत्न बेळों में यादृक दृसंचार.	प्रायापक या सम्मुख्य स्तर पर ५ वर्ष का अध्यापन/उद्योग/अनुसंधान में अभ्यास, या	तथा टिक्का.	पा.एच.डी. के साथ मानेजरों तथा विज्ञान कों संयुक्त शाखा में प्रयत्न बेळों में यादृक दृसंचार.
5.	आवेदनेपत्र	प्रायापक या सम्मुख्य स्तर पर ५ वर्ष का अध्यापन/उद्योग/अनुसंधान में अभ्यास, या	प्रायापक या सम्मुख्य स्तर पर ५ वर्ष का अध्यापन/उद्योग/अनुसंधान में अभ्यास, या	प्रायापक या सम्मुख्य स्तर पर ५ वर्ष का अध्यापन/उद्योग/अनुसंधान में अभ्यास, या	प्रायापक या सम्मुख्य स्तर पर ५ वर्ष का अध्यापन/उद्योग/अनुसंधान में अभ्यास, या
6.	खनन (माइनिंग)	हेजानियरिंग.	प्रबंधन.	प्रबंधन.	प्रबंधन.
7.	खनन संवेदन्धा	मेटलोलॉजी	सो. डॉ. डॉ. एम.	सो. डॉ. डॉ. एम.	सो. डॉ. डॉ. एम.
8.	मेटलोलॉजी	फार्मेसी	आंतरिक सञ्चालन	आंतरिक सञ्चालन	आंतरिक सञ्चालन
9.	फार्मेसी	कम्प्यूटर	मेंडेक्ल लेबोरटरी	मेंडेक्ल लेबोरटरी	मेंडेक्ल लेबोरटरी
10.	कम्प्यूटर	एल्गोरिदम	टेक्नोलॉजी	टेक्नोलॉजी	टेक्नोलॉजी
11.	एल्गोरिदम	आधुनिक कार्यालय	प्रबंधन.	प्रबंधन.	प्रबंधन.
12.	आधुनिक कार्यालय	प्रबंधन.	सो. डॉ. डॉ. एम.	सो. डॉ. डॉ. एम.	सो. डॉ. डॉ. एम.
13.	प्रबंधन	सो. डॉ. डॉ. एम.	आंतरिक सञ्चालन	आंतरिक सञ्चालन	आंतरिक सञ्चालन
14.	आंतरिक सञ्चालन	मेंडेक्ल लेबोरटरी	टेक्नोलॉजी	टेक्नोलॉजी	टेक्नोलॉजी
15.	टेक्नोलॉजी	अनुसंधान सेवा	रेफ्रिजरेशन एप्ल	रेफ्रिजरेशन एप्ल	रेफ्रिजरेशन एप्ल
16.	अनुसंधान सेवा	एप्ल कंडीशनिंग	सो. डॉ. डॉ. एम.	सो. डॉ. डॉ. एम.	सो. डॉ. डॉ. एम.
17.	एप्ल कंडीशनिंग	इंजीनियरिंग	सो. डॉ. डॉ. एम.	सो. डॉ. डॉ. एम.	सो. डॉ. डॉ. एम.
18.	इंजीनियरिंग	इंजीनियरिंग	सो. डॉ. डॉ. एम.	सो. डॉ. डॉ. एम.	सो. डॉ. डॉ. एम.
19.	सो. डॉ. डॉ. एम.	इंजीनियरिंग	सो. डॉ. डॉ. एम.	सो. डॉ. डॉ. एम.	सो. डॉ. डॉ. एम.
20.	इंजीनियरिंग	इंजीनियरिंग	सो. डॉ. डॉ. एम.	सो. डॉ. डॉ. एम.	सो. डॉ. डॉ. एम.

आयुर्विक कार्यालय
प्रबंधन (माइनर आफिय-
पैनजपट)

- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2000 892 (5) ८१
- 11.
 12. मो. डॉ. डी. प.म.
 13. ब्रांतरिक सजावट (इंटीरिचर हैक्सोरेशन)
 14. बैडकल टेक्नोरस्टी एनॉलॉजी
 15. हेक्सोनियोन एण्ड इपा कंडीशनिंग, कॉम्प्यूटर साइस तथा इंजीनियरिंग।
 16. ब्लू इंजीनियरिंग
 17. ब्लू मेंट टेक्नोलॉजी
 18. ब्लू मेंटेनेशन टेक्नोलॉजी के. पी. ओ.
 19. ब्लू टेक्नोलॉजी कार्पोरेशन
 20. ब्लू कॉर्पोरेशन
 21. ब्लू कॉर्पोरेशन
 22. ब्लू कॉर्पोरेशन
 23. ब्लू कॉर्पोरेशन
 24. ब्लू कॉर्पोरेशन डिजाइन
 25. ब्लू इंड जियोलॉजी
 26. ब्लू टेक्नोलॉजी
 27. ब्लू कॉर्पोरेशन
 28. ब्लू कॉर्पोरेशन
 29. ब्लू कॉर्पोरेशन कैमिस्ट्री
 30. ब्लू रिजर्व प्राथमिक
 31. ब्लू रिजर्व प्राथमिक

(1) गोपीनं, आदानी के अपने शैक्षणिक ऐडिगर में प्रदर्शन आर्थात् उसके द्वारा उनीं परीक्षा अन्य वृत्तिक सेवा आदि में प्रदर्शन और इसमें पर्याप्त नहीं होता है। अंक दिए जाएंगे, अपना मूल्यांकन करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें करेंगी और ऐसे अंकों के अनुसार में आधिकार अंक उसके वैयक्तिक गोक्षालगार में प्रदर्शन के लिए दिए जाने चाहए।

(2) ऐसे चयन द्वारा भग्ने जाने वाली नियमां, गमानार पर्मों में नियमान के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात् ही उन्हें कामगारी।

(3) भग्ने जाने वाली नियमों को संख्या के कम से कम तीन गुनी संख्या में अधिकारियों को चयन के लिए साक्षात्कार में बदला जाएगा।

५. पदावधि—(1) संविदा आधार पर इस प्रकार नियुक्त किए गए किसी कर्मचारी की पदावधि ३ वर्ष से अधिक कालावधि के लिए होगी, ऐसों चालावधि के अवसान पर नियुक्ति स्वतः समाप्त होगा। ऐसा व्यक्ति ने नियम पर ऐसे बेतन के लिए, जो वह अपनी पिछली नियुक्ति के दौरान प्राप्त कर रहा था, एक बेतनवृद्धि के साथ हकदार होगा।

(2) नियम कोई व्यक्ति, यदि वह चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाया जाए तो नए सिरे से संविदा पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा। ऐसा व्यक्ति ने नियम पर ऐसे बेतन के लिए, जो वह अपनी पिछली नियुक्ति के दौरान प्राप्त कर रहा था, एक बेतनवृद्धि के साथ हकदार होगा।

६. आयु—नूनतम तथा अधिकतम आयु ऐसी होगी जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए।

७. अन्य शर्त—(1) इन नियमों के अधीन कोई नियुक्ति, प्रवर्ग में रिक्त पद के विरुद्ध ही की जाएगी;

मण्डीकरण—रिक्त पद से अभियेत है उस प्रवर्ग में रिक्त पद और उसमें ऐसा पद सम्मिलित है जिसके एक वर्ष से अधिक की नियम चालावधि के लिए रिक्त बने रहने की संभावना है।

(2) इन नियमों के अधीन विभिन्न पदों पर नियुक्तियां आरक्षण के लिए विधि या नियमों द्वारा शासित होंगी, जैसे :—

(क) मध्यप्रदेश नौकर सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपवंश के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पद आरक्षित रखें जाएंगे, इस प्रयोजन के लिए रोस्टर राज्य सर पर रखा जाएगा।

(ख) महिला अधिकारियों के लिए आरक्षण, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपवंश) नियम, 1997 के उपवंशों के अनुसार किया जाएगा।

(ग) निकलांग अधिकारियों के लिए आरक्षण सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(3) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगा।

(4) इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, पेशन तथा उससे संबंधित फायदों के लिये हकदार नहीं होगा।

(5) इन नियमों के अधीन सेवाएं, दोनों में से किसी भी एक और से एक मास की सूचना द्वारा या उसके बदले में एक मास का नियम देना, पदावधि के अवसान के पूर्व किसी भी समय समाप्त की जाएंगी।

(6) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, वैसी ही चिकित्सीय सुविधाओं तथा यात्रा भत्तों का हकदार होगा, जो इन नियमों ने नहीं पाने वाले गम्भीर अन्य कर्मचारियों को अनुज्ञय हैं।

(7) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, ऐसे भविष्य निधि फायदों का भी हकदार होगा, जैसा कि राज्य सरकार, राज्य समय पर, अवधारित किया जाए।

(8) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, एक वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिन की ऐच्छिक वृद्धि का एकत्र होगा, किन्तु वह किसी अन्य प्रकार के अवकाश या दीघावकाश का हकदार नहीं होगा।

(9) संविदा नियुक्ति एक विशिष्ट संस्था के लिए ही होगी।

(10) संविदा नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी, ए.आई.सी.टी.ई. सनियमों के अनुसार उच्चतर अहंता के लिए प्रोत्साहन हेतु पात्र होगा।

(11) सेवा की अन्य शर्त ऐसी होंगी, जैसी कि उसके नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए।

अनुमति

अनु. क्र.	विभाग का नाम	पद के प्रवर्ग का	चंतन	अनु. संख्या में अनुमति	अनुमति
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
एक	तकनीकी शिक्षा एवं जनराल नियोजन.	प्राचार्य का नाम	रु. 16400- 450-20000. (ए.आई.सी. टी.इ.)	40 59	स्नातकोत्तर या स्नातक ल्लर पर प्रथम श्रेणी के साथ इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की सम्पुचित शाखा में मास्टर्स डिग्री तथा अध्यापन में 15 वर्ष का अनुभव जिसमें कम से कम 5 वर्ष विभागाध्यक्ष या सम्बुद्ध स्तर पर रहने के हों।

दो—तैरैव— विभागाध्यक्ष	रु. 12000- 420-18300. (ए.आई.सी. टी.इ.)	35 55	स्नातकोत्तर (मास्टर्स) या स्नातक स्तर पर प्रथम श्रेणी के साथ इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) की सम्पुचित शाखा में मास्टर्स डिग्री तथा प्राचार्य—सदस्य प्रतीकान्तिक (नियमित)
त्रिविल इंजीनियरिंग	प्रतीकान्तिक (टी.टी.इ.)	3.	प्राचार्य—सदस्य प्रतीकान्तिक (टी.टी.इ.) द्वारा नाम निर्देशित

प्राचार्य—सदस्य प्रतीकान्तिक (टी.टी.इ.)	किया जाएगा।	1.	प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय—अध्यक्ष संचालक, टी.टी.इ. द्वारा नाम निर्देशित किया जाएगा।
प्राचार्य—सदस्य प्रतीकान्तिक (टी.टी.इ.)	किया जाएगा।	2.	प्राचार्य—सदस्य प्रतीकान्तिक (टी.टी.इ.)
प्राचार्य—सदस्य प्रतीकान्तिक (टी.टी.इ.)	किया जाएगा।	3.	प्राचार्य—सदस्य प्रतीकान्तिक (टी.टी.इ.)

प्राचार्य—सदस्य प्रतीकान्तिक (टी.टी.इ.)	किया जाएगा।	1.	प्राचार्य—सदस्य प्रतीकान्तिक (टी.टी.इ.)
प्राचार्य—सदस्य प्रतीकान्तिक (टी.टी.इ.)	किया जाएगा।	2.	प्राचार्य—सदस्य प्रतीकान्तिक (टी.टी.इ.)

तथा

या

या

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2000

अ. एफ. 1-35-2000-बयालीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 1-35-2000-बयालीस-1, दिनांक 12 जुलाई 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. दुबे, उपसचिव.

Bhopal, the 12th July 2000

No. F. 35-2000-XLII-1.—WHEREAS, in the opinion of the State Government it has become necessary that—

- (i) to fill up certain vacancies in certain categories of employees within short time;
- (ii) to curb the tendency of avoiding, posting at certain places, those categories of employees should be appointed on contract basis for a specified period.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment to certain categories of services on contract basis under the Department of Technical Education and Man Power Planning, namely :—

RULES

1. Short title, Application and Commencement.—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh, Technical Education, Polytechnic (Teaching Cadre) Contract Services (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2000.

(2) Notwithstanding anything contained in any other rules these rules shall apply for such categories of employees appointed on contract basis as may be specified in the schedule from time to time by the State Government by notification.

(3) They shall come into force with effect from the date of publication of these rules in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires:—

- (a) "Appointing Authority" Appointing Authority in respect of a post means the authority specified in the schedule for the concerned category;
- (b) "AICTE" AICTE means the All India Council for Technical Education;
- (c) "Government" Government means the Government of Madhya Pradesh;
- (d) "Selection Committee" Selection Committee means the committee of persons specified in the Schedule for the concerned category.

3. Pay.—Pay of a post shall be such as specified in the schedule for the said post.

4. The Method of Appointments.—(1) All appointment to the categories of posts mentioned in the schedule shall be made by the appointing authority on the basis of recommendation by the Selection Committee consisting of persons specified in the schedule.

प्राचार्य
सामीक्षा विभाग पालीटेक्निक महाविद्यालय
भोपाल (मध्य)

संगति

डाक-व्यय को पूर्ण-अदायगी के
विना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए
अनुमति, अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-
एम. पी. 2-डब्ल्यू-पी/505/2000.

पंजी क्रमांक भोपाल फिब्रुअरी
एम.पी. 108/भोपाल/2000.



मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 446]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 12 जुलाई 2000—ग्राहण 21, शक 1922

तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग

मंत्रालय, बल्लाल भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2000

क्र. एक. 1-35-2000-बगातीस-1.—यतः राज्य सरकार की राय में यह आवश्यक हो गया है कि—

(एक) कर्मचारियों के कठिपय प्रवर्गों में कठिपय रिक्तियां अल्प समय के भीतर भरी जाए;

(दो) कठिपय स्थानों पर पदस्थापना को टालने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए कर्मचारियों के इन प्रवर्गों को संविदा आधार पर, विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए नियुक्ति किया जाए।

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रत्युक्त द्वारा प्रदत्त संविधानों को प्रथोग में हाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एवं राज्य तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन विभाग के अधीन सेवा के कठिपय प्रवर्गों पर संविदा आधार पर भर्ती से संबंधित नियमिति नियम यनाते हैं, अर्थात्—

नियम

1. संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति तथा प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा, पालीटेक्निक (अध्यापन संबंधी) (नियुक्ति तथा सेवा शर्तों) नियम, 2000 है,

(2) फिर्फी अन्य नियमों में अंतर्विद्यि किसी बात के होते हुए भी, ये नियम संविधा आधार पर नियुक्त कर्मचारियों के ऐसे प्रवर्गों को लाएंगे, जो कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा समय-समय पर, अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) ये मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

२. परिवारपालं.—इन मियामों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) किसी पद के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है संबंधित प्रवारा के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी

(ख) "ए.आई.सी.टी.ई." से अभिप्रेत है अधिकाल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद;

(ग) "सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश सरकार;

(घ) "चयन समिति" से अभिप्रेत है संबंधित प्रवारा के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों की समिति.

३. वेतन.—किसी पद का वेतन उतना होगा, जैसा कि उक्त पद के लिए अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया जाए.

४. नियुक्ति का तरिका.—(१) अनुसूची में उल्लिखित पदों के प्रवर्गों पर समस्त नियुक्तियां, अनुसूची में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों से गिरावचर बनने वाली चयन समिति द्वारा सिफारिश के आधार पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।

(२) अध्यर्थी के पास आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख को, अनुसूची में यथा उपबंधित शैक्षणिक अहंता तथा अनुभव होना चाहिए।

(३) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन मानदण्ड,—

पदों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए अध्यर्थियों को निम्नलिखित अनुपात में अंक दिए जाएंगे:—

(एक) प्राध्यापक/प्रोग्रामर/सहायक कर्मशाला अधीक्षक,

(क) विहित अहंता

60 (अधिकतम)

(न्यूनतम अहंता में अभिप्राप्त अंकों के अनुपात में)

10 अंक

10 अंक

05 अंक

15 अंक

(ख) एमई/एम.टेक/एम.फिल अधारित

(ग) पी.एच.डी. उपाधि

(घ) न्यूनतम अपेक्षित रो भिन्न अनुभव

(एक अंक प्रतिवर्ष)

(ङ) साक्षात्कार

(दो) प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/कर्मशाला अधीक्षक/टीपीओ/सिस्टम एनेंसिस्ट (इंजीनियरिंग/प्रोद्योगिकी)टेक्नालॉजी।

(क) विहित अहंता

70 (अधिकतम)

(न्यूनतम अहंता में अभिप्राप्त अंकों के अनुपात में)

10 अंक

05 अंक

15 अंक

(तीन) विभागाध्यक्ष (विज्ञान तथा मानविकी)

(क) विहित अहंता

80 (अधिकतम)

(न्यूनतम अहंता में अभिप्राप्त अंकों के अनुपात में)

05 अंक

15 अंक

(ख) न्यूनतम अपेक्षित से भिन्न अनुभव

(एक अंक प्रतिवर्ष)

(ग) साक्षात्कार

(1) गांधीजी के भावने ऐश्वर्यक वैविध्य में प्रदर्शन अर्थात् उसके द्वारा उनीष्ठ परीक्षा अन्य वृत्तिक मोत्र आदि में प्रदर्शन और उसके अन्य वृत्तिक में प्रदर्शन के अन्याएँ पर, जिसके लिए अंक दिए जाएंगे, अपना मूल्यांकन करने के पश्चात् अपनी सिफारिशें करेगी और ऐसे अंकों के अन्य वृत्तिक में अपार्टमेंट अंक उसके वैयक्तिक गोशालगर में प्रदर्शन के लिए दिए जाने चाहिए.

(2) पंचे चयन द्वारा भगी जाने वाली विकासां, गमानगर गवर्नर में नियामन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने के पश्चात् ही उसका नियमन।

(3) भगी जाने वाली विकासां गवी गंभेणा के काम से कम तीन गुनी संख्या में अध्यर्थियों को चयन के लिए साक्षात्कार में विभिन्न गोंगों वालानामिं के अवसान पर नियुक्ति स्वातः रापाया हो जाएगी।

5. पदावधि.—(1) संविदा आधार पर इस प्रकार नियुक्ति किए गए किसी कर्मचारी की पदावधि 3 वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए होगी, गोंगों वालानामिं के अवसान पर नियुक्ति स्वातः रापाया हो जाएगी।

(2) नियमित कोई व्यक्ति, यदि वह चयन समिति द्वारा उपयुक्त पाया जाए तो नए सिरे से संविदा पर नियुक्ति के लिए पात्र होगा, ऐसा व्यक्ति नियुक्ति पर ऐसे वेतन के लिए, जो वह अपनी पिछली नियुक्ति के दौरान प्राप्त कर रहा था, एक वेतनवृद्धि के साथ हकदार होगा।

6. आयु.—नृनाम तथा अभिकर्तम आयु ऐसी होगी जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट की जाए।

7. अन्य शर्त—(1) इन नियमों के अधीन कोई नियुक्ति, प्रबंग में रिक्त पद के विरुद्ध ही की जाएगी;

माध्यमिकरण—रिक्त पद से अभिप्रेत हैं उस प्रवर्ग में रिक्त पद और उसमें ऐसा पद सम्मिलित है जिसके एक वर्ष से अधिक की वालानामिं के लिए रिक्त बने रहने की संभावना है।

(2) इन नियमों के अधीन विभिन्न पदों पर नियुक्तियां आरक्षण के लिए विधि या नियमों द्वारा शासित होंगी, जैसे :—

(क) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुमतित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपवंध के अनुसार अनुमतित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े गों के लिए पद आरक्षित रखें जाएंगे, इस प्रयोजन के लिए रोस्टर राज्य स्तर पर रखा जाएगा,

(ख) महिला अध्यर्थियों के लिए आरक्षण, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपवंध) नियम, 1997 के उपवंधों के अनुसार किया जाएगा,

(ग) विकलांग अध्यर्थियों के लिए आरक्षण सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा,

(3) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 द्वारा शासित होगा,

(4) इन नियमों के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति, पेशन तथा उससे संबंधित फायदों के लिये हकदार नहीं होगा,

(5) इन नियमों के अधीन सेवाएँ दोनों में से किसी भी एक और से एक मास की सूचना द्वारा या उसके बदले में एक मास का विवरण देता, गमानगर के अवसान के गूर्व किसी भी समय समाप्त की जाएगी,

(6) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, वैसी ही विकितसीय सुविधाओं तथा यात्रा भत्तों का हकदार होगा, जो उस गमानगर पाने वाले गम्य या अन्य कर्मचारियों को अनुदेश हैं।

(7) इन नियमों के अधीन नियुक्त निया गया कोई व्यक्ति, ऐसे भविष्य निधि फायदों का भी हकदार होगा, जैसा कि गम्य सरकार गम्य समय पर, अवधारित किया जाए।

(8) इन नियमों के अधीन नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति, एक वर्ष में 13 दिन का आकस्मिक अवकाश तथा 3 दिन की ऐच्छिक भूमि का हकदार होगा, किन्तु यह किसी अन्य प्रकार के अवकाश या दीघाविकाश का हकदार नहीं होगा,

(9) संविदा नियुक्ति एक विशिष्ट संस्था के लिए ही होगी,

(10) संविदा नियुक्ति के लिए अध्यर्थी, ए.आई.सी.टी.इ. सन्नियमों के अनुसार उच्चतर अहंता के लिए प्रोत्साहन हेतु पाया जाएगा,

(11) सेवा को अन्य शर्तें ऐसी होंगी, जैसी कि उसके नियुक्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं।

अनुदर्शनी

अनु संख.	विभाग	पट के प्रवाह का नाम	वर्तन का नाम	आगे न्वेषण का नाम	चयन समिति		नियुक्ति प्राप्तकारी				
					(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
एक	तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन,	प्राचार्य शिक्षा एवं जनशक्ति नियोजन,	रु. 16400/- 450-20000. (ए.आई.सी. टो.इ.)	40 59	स्नातकोत्तर या स्नातक वर्ष पर प्रथम श्रेणी के साथ इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की समीक्षित शाखा में मास्टर्स डिप्लोमा तथा	1. संचालक, तकनीकी शिक्षा—अध्यक्ष. 2. संचालक, टी.टी.टी.आई., भेपत—सदस्य 3. इंजीनियरिंग महाविद्यालय के दो प्राचार्य— सदस्य.	संचालक				
दो	—तैवं— सेकेन्डरी विद्यालय	विभागाध्यक्ष का नाम	रु. 12000/- 420-18300. (ए.आई.सी. टो.इ.)	35 55	स्नातकोत्तर (भास्टर्स) या स्नातक वर्ष पर प्रथम श्रेणी के साथ इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी (टेक्नोलॉजी) की समीक्षित शाखा में मास्टर्स डिप्लोमा तथा	1. प्राचार्य, इंजीनियरिंग महाविद्यालय—अध्यक्ष (डी.टी.इ.) द्वारा नाम निर्देशित 2. प्राचार्य—सदस्य पालोटेरक्तिक (नियमित) डिप्लोमा तथा	संचालक, तकनीकी शिक्षा				

सिविल इंजीनियरिंग
1. पालोटेरक्तिक (डी.टी.इ.) द्वारा नाम निर्देशित
2. सेकेन्डरी विद्यालय

- प्राचार्य—सदस्य

विद्यालय का अध्यापन-उद्योग/अनुसंधान में अनुबंध
विद्यालय (एक्सप्रेस) (डिवीजन के बाहर)

—सदस्य

विद्यालय का बाहर

—सदस्य

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(7) (8) (9)

3. इलेक्ट्रोफिल इंजीनियरिंग

4. इलेक्ट्रोनिक्स तथा
दृष्टिकोण,

5. आकेटेक्चर

पोर्टल के साथ मानवको तथा विज्ञान को
सम्बुद्धि राखना में प्रयत्न शेषी में मार्ग

दियो।

तथा

प्राप्त्यापक या समतुल्य स्तर पर 5 वर्ष का
अध्यापन/ड्यॉग/अंतर्संधान में अनुभव,
या

6. खनन (माझिनिंग)
इंजीनियरिंग।
7. खनन सबैक्षण
8. मेटलजों
9. फार्मसी
10. कम्प्यूटर
एल्गोरिदम।
11. आधुनिक कार्यालय
प्रवर्थन।
12. सौ. डी. डी. एम.
13. आतंरिक सञ्जावट
14. मिडिकल लेबोरटरी
टेक्नोलॉजी।
15. अनुरक्षण सेवा
16. रेफ्रिजरेशन एण्ड
एयर कंडीशनिंग।
17. कम्प्यूटर साईंस तथा
इंजीनियरिंग।
18. रुरल इंजीनियरिंग
19. सोमेट टेक्नोलॉजी
इन्हेमेंटेशन
20. इंजीनियरिंग।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2000

862 (5)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21.	कृ. चो. और कंशांप अधीक्षक							
22.	डॉ. टे.सी.टी.जी							
23.	एमेंट एनोलोजी							
24.	चूटी कल्चर							
25.	क्रेसटाइल डिजाइन							
26.	स्टम एनोलस्ट							
27.	प्रधापक	रु. 8000/- 275-13500/-	22	51	इंजीनियरिंग/टक्कालाची कौं उपयुक्त शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक की डिग्री। (प.आई.सी.)	1. प्राचर्म इंजीनियरिंग, महाविद्यालय—अध्यक्ष (डो.टी.ई.द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा). (प.आई.सी.)	2. प्राचर्म—सदस्य पातोटक्टिक (नियमित)	3. प्राचर्म—सदस्य पातोटक्टिक (डो.टी.ई.द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा).
					या	4. दो विषय—सदस्य विशेषज्ञ (एक्सप्ट) (डिवीजन के बाहर) डिग्री।		
					प्रिमियल इंजीनियरिंग			
					मेकेनिकल इंजीनियरिंग			
					इंस्ट्रिक्शनल इंजीनियरिंग			
					इलेक्ट्रॉनिक्स तथा			
					हार्डवेर (टेक्नि- कल्पनिकेशन)			
					आर्किटेक्चर			
					खतन इंजीनियरिंग			
					खतन सर्वेक्षण			
					कैटलजी			

11.

माधुगुनक काव्यालंग
विनेन.(मार्डने आ०फसन-

(मनजमंट)

श्री. डॉ. डॉ. प.स.
ब्रांतरिक सजावट

(इटीरियर डेकोरेशन)

मिहिकल लेबोरटरी
लेनालौनी

15.

ऐनिजिरेशन एण्ड
एपर कंडोशनिंग

ब्रांस्टर साइंस तथा

ज्ञानियरिंग

स्लैल इंजीनियरिंग

ब्लैमेंट टेक्नालॉजी

स्ट्रॉमेनेशन टेक्नालॉजी

दे. पी. ओ.

ब्लैड टेक्नालॉजी

ब्लैमेंट टेक्नालॉजी

ब्लैटी कल्चर

ब्लैस्ट टेक्नालॉजी

ब्लैटी कल्चर

✓ 16.

ऐनिजिरेशन एण्ड

एपर कंडोशनिंग

ब्रांस्टर साइंस तथा

ज्ञानियरिंग

स्लैल इंजीनियरिंग

ब्लैमेंट टेक्नालॉजी

स्ट्रॉमेनेशन टेक्नालॉजी

दे. पी. ओ.

ब्लैड टेक्नालॉजी

ब्लैमेंट टेक्नालॉजी

ब्लैटी कल्चर

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 जुलाई 2000

सूची (१)

(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)	(७)	(८)	(९)
32.		सिस्टम एनलिस्ट (श्रेणी-1)	रु.10,000/- 325-15,200. (राज्य वेतनमान)	30	51	कम्प्यूटर साइंस, कम्प्यूटर, इंजीनियरिंग/कम्प्यूटर, साइंस तथा कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक स्तर उपाधि।	—तर्देव—	—तर्देव—
		सिस्टम एनलिस्ट (श्रेणी-2)	रु.8000/- 275-13500. (राज्य वेतनमान)	22	51	कम्प्यूटर इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि या गणित भौतिक शास्त्र/सांखिकी/आपरेशन रिसर्च में कम से कम डिलीय श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ सरकारी/अर्द्ध सरकारी/लोक उपक्रम में कम्प्यूटर प्रोग्राम का तीन वर्ष का अनुभव	—तर्देव—	—तर्देव—
		प्रोग्रामसं	रु.8000/- 275-13500. (राज्य वेतनमान)	22	51	मध्यप्रदेश बी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से कम्प्यूटर एलीकेशन में डिलीय/ पोस्ट डिलीयोमा के साथ सरकारी/अर्द्ध सरकारी/ लोक उपक्रम के किसी कम्प्यूटर केन्द्र में प्रोग्रामिंग का एक वर्ष का अनुभव।	कम्प्यूटर एलीकेशन में प्रथम श्रेणी में मास्टर डिग्री।	कम्प्यूटर एलीकेशन में प्रथम श्रेणी में मास्टर

भोपाल, दिनांक 12 जुलाई 2000

क्र. एफ. 1-35-2000-वयालीस-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 35-2000-वयालीस-1, दिनांक 12 जुलाई 2000 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्रधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. दुबे, उपसचिव,

Bhopal, the 12th July 2000

No. F. 35-2000-XLI-1.—WHEREAS, in the opinion of the State Government it has become necessary that—

- to fill up certain vacancies in certain categories of employees within short time;
- to curb the tendency of avoiding, posting at certain places, those categories of employees should be appointed on contract basis for a specified period.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the provision to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh hereby makes the following rules relating to the recruitment to certain categories of services on contract basis under the Department of Technical Education and Man Power Planning, namely :—

RULES

1. **Short title, Application and Commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh, Technical Education, Polytechnic (Teaching Cadre) Contract Services (Appointment and Conditions of Service) Rules, 2000.

(2) Notwithstanding anything contained in any other rules these rules shall apply for such categories of employees appointed on contract basis as may be specified in the schedule from time to time by the State Government by notification.

(3) They shall come into force with effect from the date of publication of these rules in the "Madhya Pradesh Gazette".

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- "Appointing Authority" Appointing Authority in respect of a post means the authority specified in the schedule for the concerned category;
- "AICTE" AICTE means the All India Council for Technical Education;
- "Government" Government means the Government of Madhya Pradesh;
- "Selection Committee" Selection Committee means the committee of persons specified in the Schedule for the concerned category.

3. **Pay-Pay of a post shall be such as specified in the schedule for the said post.**

4. **The Method of Appointments.**—(1) All appointment to the categories of posts mentioned in the schedule shall be made by the appointing authority on the basis of recommendation by the Selection Committee consisting of persons specified in the schedule.

